



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13633

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1568/2026

आवेदक: सतन पाल @ सतनलाल

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिवादी

आवेदक के वकील: कुमारी साक्षी पटेल, शिव नरेश

प्रतिवादी के वकील: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।
2. आवेदक के वकील कुमारी साक्षी पटेल एवं श्री शिव नरेश तथा राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक अपराध संख्या 290/2025, धारा 103(1), 238, 3(5) बी.एन.एस., पुलिस थाना - सुजंगंज, जिला - जौनपुर, में सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के वकील ने कहा कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और झूठे आरोप में फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक FIR में नामित नहीं है और उसका नाम सह-आरोपी राजा राम के स्वीकृत बयान में आया है, जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है।
5. वकील ने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 31.10.2025 से जेल में बंद है और सुनवाई में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत दी जाती है तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध किया।
7. "दोष सिद्ध होने तक निर्दोष होने की धारणा" का प्रसिद्ध सिद्धांत जमानत की अवधारणा को जन्म देता है और जेल को अपवाद मानता है।
8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि व्यक्ति पर अपराध सिद्ध न हो। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी का जीवन या स्वतंत्रता तभी छीनी जा सकती है जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया हो और वह प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित हो। इस सिद्धांत की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में की है।
9. सुप्रीम कोर्ट ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनएससी 595** में पुनः स्पष्ट किया कि जमानत को दंड के रूप में रोका नहीं जाना चाहिए। यह समय है कि न्यायालय यह मान्यता दे कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10.अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य के विधि अधिकारी ने कोई असाधारण परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं कीं, जो आवेदक को जमानत देने से रोकती हों।

11.मामले के तथ्य, पक्षकारों की दलीलें, अभिलेख और FIR में आवेदक का नाम न होने तथा उसका नाम सह-आरोपी के स्वीकृत बयान में आने को ध्यान में रखते हुए, और मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12.आवेदक - सतन पाल @ सतनलाल, जो उक्त मामले में संलग्न है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत बांड और दो समान राशि के जमानती न्यायालय की संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

- i) आवेदक सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव/भयभीत नहीं करेगा।
- iii) आवेदक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

13.उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

14.यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के दौरान की गई टिप्पणियाँ न्यायाधीश को गवाहों की गवाही पर स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

20 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।